न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

RMR No.-03/2017-18

गिलसन बेवा एवं अन्य

बनाम

समरूद्दीन मियां एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10.08.2022	**आदेश** यह रिविजन वाद मूल रिविजनकर्त्ता 1. मानू मियां उर्फ मोमीन, पिता–स्व0 हेदात मोमीन उर्फ मियां 2. नूर आलम मियां उर्फ मोमीन, पिता–हेमाजुद्दीन मोमीन उर्फ मियां एवं 3. सेराजुद्दीन मियां उर्फ मोमीन, पिता–स्व0 मुस्लिम मियां उर्फ मोमीन सभी का सा0–तालझारी, थाना–लिट्टीपाड़ा, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–10/2009–10 में दिनांक 17.06.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध 1. समरूद्दीन मियां, पिता–स्व0 हेदात मियां, सा0–करियोडीह, थाना–लिट्टीपाड़ा 2. सरफू मोमीन, पिता–स्व0 मुस्लिम मोमीन 3. जमाल मोमीन, पिता–स्व0मुस्लिम मोमीन दोनों का सा0–तालझारी, थाना–लिट्टीपाड़ा, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। मूल रिविजनकर्त्ताओं में से एक मानू मियां की मृत्यु सुनवाई के क्रम में हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारियों गिलासन बेवा, पति–स्व0 मानू मियां 2. अलाउद्दीन अंसारी 3. अरसलाम अंसारी4. जियाउल अंसारी सभी का पिता–मानु मियां एवं 5. नूरजहान बीबी, पति–निजाम अंसारी को पक्षकार बनाया गया। मामला संक्षेप में यह है कि अंचल–लिट्टीपाड़ा, के मौजा–करियोडीह के जमाबन्दी न0–01 के दाग सं0–409 अन्तर्गत कुल रकवा 03–09–11 धुर जमीन में से आंशिक रकवा 01–09–11 धुर तथा मौजा–तालझारी के जमाबन्दी सं0–05 के दाग सं0–339, रकवा 00–07–17 धुर, दाग सं0–340 रकवा 00–06–01 धुर, दाग सं0–345 रकवा–00–04–05 धुर एवं दाग सं0–346 रकवा–00–04–17 धुर अर्थात् उक्त चार दागों में कुल रकवा 01–03–00 धुर जमीन से इस वाद के अपीलकर्त्तागण एवं अन्य को उच्छेद करने हेतु इस वाद के उत्तरवादी सं0–01 के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0–10/2009–10 पंजीकृत करते हुए सुनवाई की गई तथा दिनांक 17.06.2017 को पारित आदेश द्वारा मानू मियां एवं अन्य (इस वाद के रिविजनकर्त्ता एवं अन्य) को प्रश्नगत भूमि से SPT Act 1949 की धारा–42 के तहत उच्छेद किया गया। यह रिविजन	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

वाद निम्न न्यायालय के इसी आदेश के विरुद्ध है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम बहस को सुना। उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस भी दाखिल किया गया है।

रिविजनकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध हैं। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–01 एवं 05 विगत सर्वे खतियान में अमीना बीबी, पिता– राजबली मियां के नाम से दर्ज है। रिविजनकर्त्तागण उक्त अमीना बीबी के गोतिया हैं। अमीना बीबी की मृत्यु के बाद मुस्लिम कानून के तहत वे उनके वैध उत्तराधिकारी हुए एवं प्रश्नगत भूमि पर उनके द्वारा शांतिपूर्वक भोग–दखल किया जाता रहा है। विपक्षी बाहरी व्यक्ति है जिसका प्रश्नगत जमाबन्दी से कोई संबंध नहीं है।

उनका आगे कहना है कि राजस्व न्यायालय Will अथवा पोष्यपुत्र के संबंध में विवेचना एवं निर्णय नहीं कर सकते है, यह सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। निम्न न्यायालय द्वारा Will एवं Adoption के संबंध में निर्णय दिया गया है जो कानूनन गलत है। Will का Probate भी आज तक नहीं कराया गया है।

उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्तागण खतियानी रैयत के गोतिया एवं वैध उत्तराधिकारी है। अतः SPT Act 1949 की धारा 20 एवं 42 लागू नहीं हो सकती है। प्रश्नगत भूमि पर उनका 40 वर्षों से अधिक से दखल कब्जा है। SPT Act 1949 की धारा की धारा 64 के तहत Limitation से Barred है।

उनका आगे कहना है कि सिविल एवं राजस्व न्यायालय किसी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। मुस्लिम विधि में Adoption को Recoganize नहीं किया गया है तथा Will का Probate नहीं कराया गया है।

उनका आगे कहना है कि चूंकि वे खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी है, अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने तथा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set aside) करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं विधि के अनुकूल है तथा इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत अमीना बीबी का कोई

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

औलाद नहीं होने के कारण वो अपनी छोटी बहन गुंजरी बीबी के पुत्र समरूद्दीन मियां को उसके 8 (आठ) वर्ष की उम्र में पोष्यपुत्र के रूप में सन् 1947 में गोद ले लिया। गोद लेने के बाद समरूद्दीन मियां खतियानी रैयत का वैध उत्तराधिकारी हुए। समरूद्दीन मियां (इस वाद के विपक्षी सं0–01) के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्वक भोग–दखल किया जाता रहा है। मृत्यु से पहले खतियानी रैयत अमीना बीबी द्वारा समरूद्दीन मियां के पक्ष में एक Will निष्पादित कर प्रश्नगत भूमि उन्हें दे दी।

उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता का गोतिया के रूप में दावा बिल्कुल गलत है तथा वे जमाबन्दी सं0–37 से संबधित है। पूर्व में दामिन मजिस्ट्रेट, हिरणपुर के न्यायालय के टी0आर0 वाद सं0–132/1952 में विपक्षी सं0–01 समरूद्दीन मियां की जन्म देने वाली माता के पक्ष में तथा टी0आर0 नं0–07/1952 में विपक्षी सं0–01 के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। साथ वे प्रश्नगत भूमि का खजाना भी देते आ रहे हैं।

उनका आगे कहना है कि SPT Act 1949 की धारा 42 के तहत आवेदन की कोई समय सीमा नहीं है। रिविजनकर्त्ता द्वारा जबरन प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा किया गया है तथा वो बाहरी व्यक्ति है अतः उच्छेदी का निम्न न्यायालय का आदेश बिल्कुल सही व्याख्या पर आधारित है।

उनके द्वारा रिविजनकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत करने तथा निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

रिविजनकर्त्ता स्वयं को खतियानी रैयत का गोतिया बताते है एवं अपने रिविजन आवेदन एवं लिखित बहस में अंकित वंशावली के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा कर रहे है। परन्तु रिविजनकर्त्ता द्वारा एक भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उनके द्वारा अंकित वंशावली की पुष्टि हो सके। अपने लिखित बहस में अंकित वंशावली में हेदात मियां उर्फ मोमीन को मौजा–कारियोडीह के जमाबन्दी सं0–37क का खतियानी रैयत बताया गया है। जबकि प्रश्नगत मामला मौजा–कारियोडीह के जमाबन्दी सं0–01 एवं तालझारी मौजा के जमाबन्दी नं0–05 से संबधित है। अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा के पत्रांक 317/रा0, दिनांक 26.08.2010 में भी रिविजनकर्त्तागण को खतियानी रैयत अमीना बीबी का वंशज नहीं माना गया है। क्योंकि उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि से विपक्षी सं0–01 को

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

बेदखल किया गया है। रिविजनकर्त्ता के खतियानी रैयत के गोतिया होने के दावे को साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

दूसरी ओर विपक्षी सं0–01 का दावा है कि वो खतियानी रैयत के पोष्यपुत्र है।

इस संदर्भ में उनके द्वारा वर्ष 1947 में अमीना बीबी द्वारा निष्पादित Will की छायाप्रति दाखिल किया गया है। उक्त Will बंगला भाषा में लिखित है जिसमें विपक्षी सं0–01 को पोष्यपुत्र के रूप में गोद लेने का उल्लेख है। उक्त Will को रिविजनकर्त्ता द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में रिविजनकर्त्ता द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त Will वर्त्तमान में प्रभावी है। अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा के जांच प्रतिवेदन में भी समरूद्दीन मियां को खतियानी रैयत अमीना बीबी का पोषपुत्र बताया गया है। इस प्रकार समरूद्दीन मियां खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी है।

रिविजनकर्त्ता का यह कहना है कि Will का Probate नहीं कराया गया है। परन्तु उनके द्वारा यह नहीं बताया गया कि Probate कराने की समय–सीमा क्या है। Will का Probate कभी भी कराया जा सकता है। अतः उसके इस दावे को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा Will अथवा Adoption के संबंध में ऐसी कोई विवेचना अथवा निर्णय नहीं दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि निम्न न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया गया है।

विपक्षी का यह दावा है कि चूंकि उनका दखल प्रश्नगत भूमि पर 40 वर्षो से अधिक समय से है। अतः यह SPT Act 1949 की धारा 64 के तहत Limitation से barred है। SPT Act 1949 की धारा 64 का उद्धरण निम्नवत् है –

" General rule of limitation – All applications made under this act, which no period of limitation is provided elsewhere in this Act, shall be made within one year from the date of the occruing of the cause of action;

Provided that there shall be no period of limitation for an application

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

under section 42."

स्पष्ट है कि Section 42 के तहत कोई Limitation नहीं है। अतः रिविजनकर्त्ता का यह दावा भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। रिविजनकर्त्ता द्वारा अपने लिखित अभिकथन में माननीय उच्च न्यायालय के जिन आदेशों का हवाला दिया गया है वो इस मामले में लागू नहीं होते है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध विपक्षी द्वारा दाखिल लगान रसीदों की छायाप्रति से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा सरकार को वर्ष 1967 से लगान दिया जाता रहा है। निर्गत लगान रसीद से स्पष्ट है कि उन्हें प्रश्नगत भूमि का रैयत मान कर ही रसीद निर्गत किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि रिविजनकर्त्ता का खतियानी रैयत के साथ कोई संबंध नहीं है तथा उनके द्वारा विपक्षी सं0–01 की भूमि पर अवैध रूप से दखल किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में की गई विवेचना से असहमत होने का कोई तार्किक आधार नहीं है।

अतः रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

10/8/22
उपायुक्त
पाकुड।

10/8/22
उ पा यु क्त,
पाकुड

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2022.12.31 12:44:21 +05:30
Location: 192.168.1.100